

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला कुशीनगर
तहसील कप्तानगंज
आवेदन क्र० 211890030163373
प्रमाणपत्र क्र० 596213015162

जारी दिनांक: 10/08/2021

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

संदीप कुमार
रामध्यान
रमावती देवी
,बरवा स्थान / लक्ष्मीगंज
बरवा स्थान
कप्तानगंज
कुशीनगर



उत्तर प्रदेश राज्य की कुम्हार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **संदीप कुमार** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शामनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, में आच्छादित नहीं है; इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इमने अधिक नहीं है तथा इनके पाम धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा में अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: श्रीनिवास बरनवाल, ग्रहण जन सेवा केंद्र
पद: श्रीनिवास बरनवाल, केन्द्र प्रभारी
स्थान : KUSUMHA, हाटा, कुसुम्हा, रामकोला, हाटा
दिनांक: 10/08/2021
हस्ताक्षर एवं मुहर

AHMAD
FAREED
KHAN
Digitally Signed by
AHMAD FAREED
KHAN D-TEHSIL
OFFICE
KAPTANGANJ,
CU-REVENUE
DEPARTMENT,
SHUTTAR
PRADESH

सखम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
कप्तानगंज, कुशीनगर
दिनांक: 10/08/2021

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहला आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० बंकिता कर, सत्यापित किया जा सकता है।